

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2022::लखनऊ::दिनांक::नवम्बर 02,2022

--आदेश--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, वाराणसी के पत्रांक-880/2022 दिनांक 17.10.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, वाराणसी में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 वाराणसी से सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम संख्या	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क0नि0वर्ष
1.	दू0 20/2022	सर्वश्री जय गुरुदेव ट्रेडर्स, साकेत नगर, वाराणसी	2012-13 धारा-28(2)(11)
2.	दू0 21/2022	" "-----उक्त-----	2012-13 धारा-9(4)

ह0/02.11.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1622/2022, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, वाराणसी।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, वाराणसी।
- 3-असि0 कमि0/रा0प्रति0 पीठ-2 व 4, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।